पर्वतीय बाल मंच

पबम

बाल सहभागिता
और हमारे अधिकार

पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को प्रस्ताव सौंपते बाल संगठन सदस्य

आदर्श बाल संगठन, पसौली, देहरादून

उमंग बाल संगठन, बालूवाला, देहरादून

चेतना बाल संगठन, अम्बाड़ी, देहरादून

बालम्पा देवी बाल संगठन, कुमजुग, नन्दानगर, चमोली

आर्यन बाल संगठन, उस्तोली, नन्दानगर, चमोली

लक्ष्मी नारायण बाल संगठन, सैंती, नन्दानगर, चमोली

विश्व बाल संगठन बाड़वाला, देहरादून

मिलन बाल संगठन, शेरकी, बांदलघाटी देहरादून

गौरिया राजा बाल संगठन, चरबंग, नन्दानगर, चमोली

वर्ष : 21 अंक : 01, माह : जुलाई 2025

आपदा न्यूनीकरण एवं बचाव प्रशिक्षण

बाल संगठन से जुड़े २४ बच्चों को नन्दानगर में आपदा न्यूनीकरण एवं बचाव पर १३ दिन का प्रशिक्षण दिया गया जिसमें हम भी शामिल हुए।

हमें प्रशिक्षण के दौरान पर्वतारोहण के बारे में जानकारी दी गई जिसे जुमारिंग कहते हैं साथ ही पहाड़ से किस तरह नीचे उतर सकते हैं जिसे रैपलिंग कहते हैं। पर्वतारोहण के लिए किन-किन उपकरणों की आवश्यकता होती हैं और उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि किसी रोप (रस्सी) से कौन कौन सी नॉट (गाँठ) बांधी जा सकती है और उनका कब और कैसे उपयोग करते हैं यह हमें

सीखने को मिला। हमें बताया गया कि नॉट (गाँठ) मुख्य रूप से चार प्रकार की होती हैं।

डायरेक्ट नॉट (सेफ्टी नॉट, गाइडमैन नॉट, मिडल मैन नॉट, बोलाइन नॉट, एण्डमैन नॉट)

इन्डारेक्ट नॉट (फिगर ऑफ एट)

ज्वाइनिंग नॉट (रीफ नॉट, फिशरमैन नॉट, शीट बैंड नॉट) हिच नॉट (क्लो हिट, रनिंग क्लोहिच, इटालियन क्लोहिच) इन नॉटस का उपयोग कब, क्यों और कैसे किया जाता है यह हमें प्रैक्टिकल करके सिखाया गया। हमें हर नॉट को बांधने का अभ्यास कराया गया ताकि हम

शेष पृष्ठ पर १० पर ....

प्रगति बाल संगठन

हम मुस्लिम बस्ती, केदारवाला में प्रगति बाल संगठन के सदस्य हैं। हम पिछले ५-६ वर्षों से प्रत्येक माह अपनी बैठक में अपने अधिकारों को लेकर चर्चा करते हैं। बाल संगठन बनने से पहले हमारी बस्ती में एक भी कूड़ेदान नहीं था। आज प्रत्येक घर के आगे कूड़ादान है और लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता है। इसकी शुरूआत बस्ती में बाल संगठन के द्वारा आयोजित स्वच्छ गृह सर्वेक्षण से हुई। इसके अन्तर्गत हमनें बस्ती के प्रत्येक घर में जाकर स्वच्छता का सर्वे किया और इस दौरान लोगों से स्वच्छता के बारे में बातचीत भी की। किसी के भी पास कूड़े के प्रबन्धन को लेकर कोई प्लान नहीं था, लोग कूड़ेदान का प्रयोग नहीं करते थे। बल्कि अपने घरों के कूड़े को इधर-उधर फेंक दिया करते थे।

बैठक में हमें बताया जाता था कि स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित रहना हम बच्चों का अधिकार है। हम स्वच्छ और स्वस्थ तभी रह सकते हैं जब हमारी बस्ती स्वच्छ हो। इसके लिए हमनें लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। बाल संगठन में स्वच्छ गृह सर्वेक्षण के तहत स्वच्छता पर चर्चा होती है। बच्चों को कूड़ेदान बनाना सिखाया जाता है और कूड़ा प्रबन्धन में इसके महत्व के बारे में भी बताया जाता है।

इससे प्रेरित होकर लोगों ने अपने घरों में कूड़ेदान का उपयोग करना प्रारम्भ किया। इसमें एकत्रित हुए कूड़े को निस्तारित करने के लिए अपने घर के पास एक गड्डे में दबा देते हैं।

बाल संगठन में हमनें जाना कि स्वच्छता भी हमारे अधिकारों से जुड़ी है। यह हमारा अधिकार ही नहीं हमारी जिम्मेदारी भी है।

अलिशा, कक्षा: १० और आईशा, कक्षा: १२
प्रगति बाल संगठन, मुस्लिम बस्ती,
केदारवाला, देहरादून

वैष्णवी बाल संगठन

मैं वैष्णवी बाल संगठन का सचिव हूं। हमारे बाल संगठन की ओर से मैंने आपदा प्रंबधन प्रशिक्षण कैम्प में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुझे आपदा में अपनी सुरक्षा किस प्रकार करनी और किन-किन बातों विशेष ध्यान रखना है और इस दौरान जिन सामग्रियों का उपयोग होता है उनके बारे में भी जानकारी मिली। इस प्रशिक्षण में हमनें पर्वतारोहण के बारे में सीखा। रिवर क्रॉसिंग करना सीखा और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में सीखा और विभिन्न प्रकार के उपकरणों के बारे में सीखा।

हमारे बाल संगठन में सभी गतिविधियां सहभागिता के माध्यम से होती है। सहभागिता हमारे सम्पूर्ण व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है। इस कारण आज हमारे संगठन का प्रत्येक बच्चा मंच से अपनी बात बोल सकता है। उसके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है।

आयुष, कक्षा : ८
वैष्णवी बाल संगठन, सिरोसार,
नन्दानगर, चमोली

क्षेत्रपाल बाल संगठन

बाल सहभागिता के अर्न्तगत हमारे निम्न अधिकार हैं।

१. भेदभाव न करने का अधिकार : बाल संगठन की बैठक में हमें यह पता चला कि किसी भी प्रकार का भेदभाव करना गलत है। हमारे बाल संगठन में भी सदस्यों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव जैसे, लिंग, जाति, सम्प्रदाय, सामाजिक स्थिति आदि नहीं होता है।

२. खेल खेलने का अधिकारः बाल संगठन की बैठक समाप्त हो जाने के बाद सभी सदस्य मिलकर कोई ना कोई खेल अवश्य खेलते हैं। बैठक में हुई चर्चाओं के दौरान ही हमें यह पता चला खेलना भी हमारा एक अधिकार है।

३. जन्म पंजीकरण का अधिकारः अपनी मासिक बैठक के दौरान हम अक्सर 'आओ अपने अधिकार जाने' किताब को पढ़ते हैं। इस किताब से ही हमें पता चला कि संयुक्त राष्ट्र (UNCRC) बाल अधिकार समझौते के तहत ने हमें हमारे पंजीकरण का अधिकार दिया हुआ है। क्योंकि भारत सरकार ने बाल अधिकारों के घोषणा पत्र में हस्ताक्षर किये हुए हैं। अतः प्रत्येक बच्चे का जन्म पंजीकरण हो, यह सुनिश्चित कराना हमारी सरकार का दायित्व है।

४. जीने का अधिकार : समस्त बाल अधिकारों में चार भागों में विभाजित किया गया है उनमें एक जीने का अधिकार भी है।

५. अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार : बाल

अधिकारों के अनुच्छेद १२ के अनुसार प्रत्येक बच्चे को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। बच्चे संयुक्त रूप से भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

६. सहभागिता का अधिकार : बाल संगठन की बैठकें, स्वच्छ गृह सर्वेक्षण, पबम दिवस तथा बाल संगठन से जुड़ी अन्य गतिविधियां हमारा सहभागिता का अधिकार है।

७. बाल संगठन बनाने का अधिकारः अनुच्छेद १५ हमें बाल संगठन बनाने का अधिकार देता है। इसके तहत हमनें अपने गाँव में अपना संगठन बनाया हुआ है।

८. स्वच्छता का अधिकारः प्रत्येक बच्चे का स्वस्थ और स्वच्छ रहने का अधिकार है। इसी अधिकार का उपयोग करते हुए हम अपने गाँव में स्वच्छ गृह सर्वेक्षण व अन्य स्वच्छता से सम्बन्धित गतिविधियाँ करवाते हैं।

अंशिका पाल, अध्यक्ष
क्षेत्रपाल बाल संगठन,
सरोना, बांदलघाटी, देहरादून

सनाया बाल संगठन

मैं सनाया बाल संगठन की व्यस्थापिका हूँ। हमारे संगठन में प्रत्येक माह अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चर्चा बाल अधिकारों के लेकर होती है।

जब हम लोग अपनी मासिक बैठक 'शिक्षा के अधिकार (RTE) को लेकर चर्चा कर रहे थे तो यह बात सामने आयी कि इस अधिकार के अन्तर्गत हमारे स्कूल में हमें क्या-क्या सुविधायें मिलनी चाहिए जैसे स्कूल का भवन, अध्यापक, स्कूल की चार दिवारी (बाउन्ड्री), कुर्सी-मेज, टीन-शैड आदि। इस तरह देखने से हमें समझ में आया कि हमारे स्कूल की तो हालात बहुत खराब है। जिसमें सबसे प्रमुख यह है कि स्कूल की चार दिवारी, टूटी हुई है। इस पर स्कूल बच्चों, अभिभावकों और स्कूल के अध्यापकों ने मिलकर ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य को इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव दिया। ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य ने आश्वासन दिया कि वे मिलकर इस पर विषय पर अवश्य कार्यवाही करेंगे।

स्कूल की चार दिवारी को लेकर उस समय हमारी हर बैठक में चर्चा होती थी। हमनें इस सम्बन्ध स्कूल प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष और बाकि सदस्यों से भी भेंट की।

इस तरह प्रत्येक स्तर पर चर्चा करने के बाद सितम्बर २०२४ में ब्लाक प्रमुख जी के माध्यम से स्कूल की चार दिवारी की मरम्मत हो पायी। चार दिवारी बन गयी है जिससे स्कूल में एक बरामदा भी बन गया है।

अभिभावकों, अध्यापकों, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के साथ बाल संगठन की सहभागिता से शिक्षा के अधिकार अनुच्छेद २८ के अन्तर्गत यह कार्य सम्पन्न हो पाया।

आरजू, कक्षा : ११
सनाया बाल संगठन
मुस्लिम बस्ती, रुद्रपुर

सिद्धनाथ बाल संगठन

ग्राम मथकोट में सिद्धनाथ बाल संगठन में मैं उपाध्यक्ष हूँ। बाल सहभागिता एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें बच्चों की हर उस निर्णय में भूमिका होती है। बाल संगठन के माध्यम से बाल सहभागिता निभाते हुए मेरे जीवन में अनेक बदलाव आये जैसे

- बाल संगठन के मंच से मैंने अपनी बात को रखना सीखा।
- मैंने अपने अधिकारों को जाना। मुझे ज्ञात हुआ कि खेलना, भागीदारी करना, सुरक्षा, भेदभाव से मुक्त रहना आदि मेरे अधिकार हैं।
- मुझे आपदा प्रबन्धन न्युनीकरण के कैम्प में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हुआ। जहां हमने सीखा कि

आपदा आने पर समुदाय की सहायता किस प्रकार करनी चाहिए।

दिवाकर सिंह, उपाध्यक्ष
सिद्धनाथ बाल संगठन, मथकोट,
नन्दानगर, चमोली

मुस्कान बाल संगठन

मैं ग्राम बुलाकीवाला में मुस्कान बाल संगठन में प्रचार मंत्री के पद पर हूँ। गाँव के सभी बच्चे जागृति बाल संगठन की गतिविधियों में प्रतिभाग करते हैं। यहाँ उन्हें प्रत्येक माह नई-नई गतिविधियों के बारे में सीखने को मिलता है। उन्हें गाँव के विभिन्न निर्णयों जैसे स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण आदि विषयों में सहभागिता निभाने का अवसर मिलता है। इससे उन्हें गाँव व समाज से जुड़े विभिन्न विषयों व समस्याओं की जानकारी मिलती है। इस सभी विषयों पर वे अपने बाल संगठन में चर्चा करते हैं। जैसे हमारे संगठन में शिक्षा के विषय को लेकर अनेकों बार चर्चा हुई है। बाल संगठन से जुड़े बच्चे स्कूल या मदरसों में जाते हैं लेकिन सभी बच्चे नियमित तौर पर नहीं जाते। ४० में से २५ बच्चे तो नियमित जाते हैं लेकिन १५ ने बताया के वे नियमित नहीं हैं वे बहुत कम दिन जाते हैं। जब इस बारे में पता किया गया कि यह १५ बच्चे क्यों नियमित नहीं जा पा रहे हैं। तो पता चला कि वे अपने छोटे भाई-बहिनों की देखभाल के कारण या उनके मात-पिता के पास फीस के लिए पैंसे ना होने का कारण नियमित तौर पर शिक्षा ग्रहण नहीं का पा रहे हैं।

गाँव के कुछ बच्चे नियमित तौर पर स्कूल नहीं जा रहे हैं यह हमारे लिए गम्भीर विषय था हमनें इस बारे में ग्राम प्रधान जी और वार्ड मेम्बर से चर्चा की। उनके अभिभावों से भी इस विषय में चर्चा की गयी व उन्हें बताया कि गाँव अन्य कई बच्चे नियमित स्कूल या मदरसा जा रहे हैं और अपने घरों के काम में भी हाथ बंटाते हैं। धीरे-धीरे सभी बच्चों ने नियमित शिक्षा ग्रहण करना प्रारम्भ किया।

शिक्षा का अधिकार, बाल अधिकार के अनुच्छेद संख्या २८ का हिस्सा है। बाल संगठन में सहभागिता के माध्यम से गाँव के सभी बच्चों को यह अधिकार मिले, यह सुनिश्चित हुआ।

इकरा, कक्षाः ७ और समद, कक्षाः ६
मुस्कान बाल संगठन, बुलाकीवाला

संस्कार बाल संगठन

विकास का अधिकार - सबने मिलकर किया प्रयास

मैं संस्कार बाल संगठन से पिछले पांच वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। बाल संगठन, बाल सहभागिता का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। यहाँ से जुड़े हमें अपने सभी अधिकारों की जानकारी मिलती है। जिन्हें समझने के लिए चार भागों में बांटा गया है।

१. विकास का अधिकार
२. सहभागिता का अधिकार
३. सुरक्षा का अधिकार
४. जीने का अधिकार।

हमारे कुल ५४ अधिकार हैं। इनमें से ४२ अधिकार सीधे बच्चों से जुड़े हैं।

हमारे गांव डुमेट के बच्चों ने मिलकर बाल सहभागिता अधिकार के अन्तर्गत आपस में मिलकर गांव में बाल संगठन का गठन किया और गांव के सभी बच्चों को इस संगठन से जोड़ा। शुरू में हमारे संगठन में ३५ - ४० बच्चे थे लेकिन मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर गांव के प्रत्येक बच्चे से बात की और उन्हें संगठन से जोड़ा। इस तरह हमारे बाल संगठन में सदस्यों की संख्या अब ७० से ७५ तक हो गयी है। यह हमारे संगठन के संयुक्त प्रयासों से ही संभव हो पाया।

हमारे संगठन के बच्चों में धीरे-धीरे बड़े बदलाव आ रहे हैं। लगभग सभी बच्चे बैठक का संचालन कर लेते हैं। हमारे संगठन में मुख्य तौर पर सहभागिता और विकास के अधिकार पर चर्चा होती है।

आशीष
संस्कार बाल संगठन,
डुमेट, देहरादून

खुशी बाल संगठन

अनुच्छेद २४: पोषण का अधिकार

खुशी बाल संगठन में प्रत्येक माह होने वाली बैठक में हम अपने अलग-अलग अधिकारों को लेकर बात करते हैं। अपने अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए हम बाल संगठन के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों का सम्पादन भी करते हैं।

इस माह की बैठक में दीदी से हमारे साथ पोषण को लेकर चर्चा की। हमारी आयु में हमें कितने कैलोरी ऊर्जा चाहिए। किशोर व किशोरियों में कितना हिमोग्लोबिन होना चाहिए। कौन से टीके लगने चाहिए। हम में से किसी को भी अपना हिमोग्लोबिन पता नहीं था। इस सम्बन्ध में हमनें एक पत्र ग्राम प्रधान जी को लिखा जिसमें उनसे निवेदन किया कि वे गाँव में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करें, जिसमें सभी बच्चों के हिमोग्लोबिन की जांच हो। हमारे पहले प्रस्ताव में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन नहीं हो पाया। हमनें दुबारा प्रस्ताव भेजा तो प्रधान जी स्वास्थ्य शिविर की व्यवस्था करवाई।

स्वास्थ्य शिविर में १०० से अधिक बच्चों ने अपना हिमोग्लोबिन चैक कराया। अधिकतर बच्चों का हिमोग्लोबिन कम था। हिमोग्लोबिन को ठीक रखने के लिए हमें किस प्रकार पोषण रखना चाहिए इस पर हम लगातार अपनी मासिक बैठक में चर्चा करते हैं।

इस प्रकार हमनें अपने सुरक्षा और स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित किया। गाँव में इस प्रकार की गतिविधियां तभी सम्भव हो पाती जब बच्चों के सहभागिता के अधिकार को स्वीकारा जाता है।

तनिशा प्रवीन
खुशी बाल संगठन, केदारावाला
विकासनगर, देहरादून

चेतना बाल संगठन

मैं चेतना बाल संगठन की सदस्या हूँ। प्रत्येक माह हमारे संगठन की बैठक होती है। बाल संगठन, समुदाय के मध्य बाल सहभागिता को प्रोत्साहित करने का सर्वोत्तम मंच है। संगठन के माध्यम के गाँव के प्रत्येक बच्चे को गाँव के विकास में और अन्य गतिविधियों में सहभागी बनने का अवसर प्राप्त होता है।

बाल संगठन की बैठक में हमे नये-नये खेल, खेलते हैं। हमनें यह जाना है कि खेलना, प्रत्येक बच्चे का एक मूलभूत अधिकार है। उसे बाल अधिकार घोषणा पत्र में अनुच्छेद ३१ के अन्तर्गत यह अधिकार प्राप्त है। बाल संगठन में जुड़ने से पहले हमें यह जानकारी नहीं थी। ११ जून को हम खेल दिवस भी मनाते हैं। खेल खेलने से बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है।

बाल संगठन में सहभागिता के माध्यम से हमने प्रत्येक माह नई गतिविधियों को सीखा। इस दौरान हमे स्वच्छता, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण आदि गतिविधियों के महत्व को समझा।

धानी थापा

चेतना बाल संगठन, अम्बाड़ी, देहरादून

धारेश्वर महादेव बाल संगठन

बाल सहभागिता से मिलने वाले अधिकार

१. अपने अधिकारों को जाना

२. खेलने का अधिकार

३. अपने नियमों के आधार पर संगठन बनाने का अधिकार।

४. साफ-सफाई करने का अधिकार

५. गाँव का नक्शा बनाया और उसमें अस्वच्छ स्थानों को चिन्हित किया

६. कूड़ेदान का महत्व समझा और गाँव में सभी को इसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया।

७. गाँव का स्वच्छ गृह सर्वेक्षण किया।

८. एक-दूसरे का सम्मान करना सीखा। अपने साथियों के साथ बिना किसी भेदभाव के बराबरी का अधिकार।

९. अपनी बात रखने का अधिकार।

१०. सूचना पाने का अधिकार

११. नुक्कड़ नाटक करने का अधिकार

१२. पर्यावरण संरक्षण में पेड़-पौधे लगाने का अधिकार।

संजना, प्राची और अंजली

धारेश्वर महादेव बाल संगठन

धरगांव, नन्दानगर, चमोली

आदर्श बाल संगठन

मैं अपने गाँव लाँखी पिकटीया में बने आदर्श बाल संगठन की अध्यक्षा हूँ। बाल सहभागिता एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें बच्चे उन सभी निर्णयों में सहभागी होते हैं जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। बाल सहभागिता की इस प्रक्रिया से मेरे जीवन में अनेक बदलाव आये हैं जैसे मुझे अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मिली। मुझे पता चला खेलना, सुरक्षित रहना, स्वस्थ रहना, सहभागी होना, अपनी बात को कहना, किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्ति आदि मेरे अधिकार है।

हाल ही में हमारे बाल संगठन के सदस्यों को आपदा न्यूनीकरण एवं बचाव का प्रशिक्षण हुआ। जिसमें हमनें सहभागिता के माध्यम से आपदा के दौरान किस प्रकार सुरक्षित रहा जा सकता है इस बारे में सीखा।

दिक्षा

आदर्श बाल संगठन, लाँखी

नन्दानगर, चमोली

प्रेरणा बाल संगठन

ग्राम पृथ्वीपुर में प्रेरणा बाल संगठन में प्रत्येक माह बैठक की जाती है। गाँव के सभी बच्चों को इस बैठक में प्रतिभाग करके बहुत अच्छा लगता है। यहाँ हमें बहुत सी नई-नई चीजें सीखते हैं। हम अनेक विषयों पर चर्चा करते हैं जिससे हमें अपने साथियों के विचार को सुनने और अपनी कहने का अवसर मिलता है। इससे हम सभी का आत्मविश्वास बहुत बढ़ा है।

मई माह में मुझे दक्षिण भारत के मदुरई शहर जाने का अवसर मिला। वहाँ जाकर मुझे देश के विभिन्न राज्यों के बच्चों मिलने का मौका मिला। हमनें वहाँ नयी-चीजें सीखीं और नये-नये खेल सीखे। हमनें वहाँ सभी को पर्वतीय बाल मंच और अपने बाल संगठन के बारे में बताया।

मदुरई जाना और वहाँ जाकर सीखना हमारा सहभागिता और विकास का अधिकार है।

सिया मौर्य, कक्षा: १२
प्रेरणा बाल संगठन,
पृथ्वीपुर, देहरादून

अपने गाँव पृथ्वीपुर में बने प्रेरणा बाल संगठन के माध्यम से मैंने अपने अधिकारों के बारे जाना है।

बाल संगठन में शिक्षा के अधिकार को लेकर हुई बैठक में ग्राम प्रधान, वार्ड मेम्बर, स्कूल के अध्यापक, बाल संगठन के सभी सदस्य, स्कूल प्रबन्धन समिति के सदस्य शामिल हुए। बैठक में स्कूल की समस्याओं पर चर्चा हुई जिसमें यह निकल कर आया कि प्राथमिक विद्यालय पृथ्वीपुर में बच्चों के लिए पीने का पानी, शौचालय का अभाव और स्कूल के चारों ओर चारदिवारी नहीं है। इन समस्याओं पर बाल संगठन की कई बैठकों में चर्चा हुई लेकिन कोई सर्वमान्य हल नहीं निकल पा रहा था।

अंततः यह तय हुआ कि इस विषय को ग्राम स्तरीय बाल सुरक्षा समिति (VLCPC) की बैठक में ले जाया जाये। इस प्रकार बाल संगठन के बच्चों को VLCPC में सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। VLCPC की बैठक में हमें यह आश्वासन मिला कि इन विषयों पर शीघ्र कोई कार्यवाही की जायेगी। और कार्यवाही हुई भी। आज स्कूल में दो शौचालय हैं, पीने का पानी उपलब्ध है और चार दिवारी का निर्माण भी हो चुका। इस प्रकार बाल संगठन के माध्यम बच्चों ने अपने शिक्षा के अधिकार और सुरक्षित रहने के अधिकार को सुनिश्चित किया। यह सिर्फ बाल सहभागिता के माध्यम से ही सम्भव हो पाया।

ज्योति, कक्षा: १२
प्रेरणा बाल संगठन, पृथ्वीपुर
देहरादून

उज्ज्वल बाल संगठन

बाल संगठन की बैठकों मे ंहम अलग-अलग प्रकार के खेल, खेलते हैं जैसे तोता कहता है, कितने भाई-कितने लीडर, ताली वाला खेल आदि। इन सभी खेलों में बहुत मजा आता है। जून माह में हुई बाल संगठन की बैठक में सभी सदस्यों ने खेलों से होने वाले लाभ के बारे में अपने-अपने विचार रखे जैसे खेलों से टीम वर्क की भावना आती है, आपस में सभी प्रकार का भेदभाव भी कम होता है, समानता की भावना आती है, शारीरिक और मानसिक विकास होता है और खेलते समय हम बहुत आनन्द से रहते हैं। सभी बच्चों को खेल दिवस की बाधाई दी गयी। बाल संगठन में आज तक हमने जितने भी प्रकार के खेल, खेले हैं हमने उनके बारे में चर्चा की। हमनें मिलकर पिट्ठु और खो-खो खेल भी खेला।

खुशी और विधि
उज्ज्वल बाल संगठन,
गोडरिया, देहरादून

.........पृष्ठ दो से आगे

अच्छे से सीख सकें।

रिवर क्रॉसिंग (नदी को कैसे पार किया जाता है) इसके लिए बेस कैसे बनाते हैं और कैसे हम आर पार जा सकते हैं इसके लिए ट्रैनर्स द्वारा पहले हमें डेमो करके दिखाया गया। हम सभी बच्चों को उसका अभ्यास कराया गया और अगले दिन नदी में जाकर सभी प्रतिभागियों से रिवर क्रॉसिंग करवाई गई।

हमने यह भी सीखा कि आपदा के दौरान यदि किसी घायल व्यक्ति को रेस्क्यू किया जाता है तो उसका प्राथमिक उपचार किस तरह किया जाता है। सीमित संसाधनों के चलते डण्डे और चादर या कम्बल से हम कैसे स्ट्रैचर बना सकते हैं। घायल व्यक्ति को दो हाथ से सहारा देकर कैसे उठाया जा सकता है। साथ ही इस दौरान क्या सावधानियां रखते हैं इन सभी बातों की हमें विस्तृत जानकारी दी गई।

इन १३ दिनों के प्रशिक्षण के दौरान हमने जुमारिंग, रैपलिंग, रिवर क्रॉसिंग, ट्री जुमारिंग एवं फर्स्ट एड जैसी महत्वपूर्ण चीजें सीखीं। इस प्रशिक्षण में हमने यह जाना कि यदि आपदा आती है तो हम किस प्रकार बिना संयम खोये खुद को व अपने अन्य साथियों को बचा सकते हैं।

बाल संगठन से जुड़कर और निरन्तर अपने संगठन की गतिविधियों में भागीदारी निभाते हुए हमें इस प्रशिक्षण में शामिल होने का अवसर मिला।

उर्मिला, संध्या, प्रिया एवं कामना
नन्दानगर, चमोली

सहभागिता के अन्तर्गत मिलने वाले अधिकार
नागदेव बाल संगठन

समाज में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित हो यह अधिकार अनुच्छेद संख्या १२, १३ व १५ के अंतर्गत आता है। हमनें अपने बाल संगठन में सहभागिता के माध्यम से विभिन्न अधिकारों के बारे में जाना।

स्वच्छता का अधिकार: हमनें अपने गाँव में बाल संगठन के माध्यम से स्वच्छ गृह सर्वेक्षण किया। जिसमें हमने मुख्यतया तीन प्रकार की स्वच्छता का निरीक्षण किया। इसके लिए सबसे पहले हमने अपने गाँव का एक स्वच्छता मानचित्र बनाया जिसमें उन जगहों को दर्शाया जहाँ पर सबसे ज्यादा गन्दगी रहती है। बाल संगठन की बैठक में अपने अभिभावकों के साथ इस मानचित्र के आधार पर गाँव की स्वच्छता पर चर्चा की। बच्चों व अभिभावकों ने सहभागी बन उन उपायों को अपनाया जिससे गाँव की स्वच्छता सुनिश्चित हो सकी। इससे हमें स्वच्छता का अधिकार मिला।

पर्यावरण संरक्षण का अधिकार: हमनें अपने बाल संगठन में पर्यावरण संरक्षण के बारे में जाना। जिसमें हमने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में एक गतिविधि के माध्यम से जाना। हमनें सीखा कि कैसे पारिस्थितिकी तंत्र में सभी अवयव एक दूसरे पर निर्भर हैं किसी भी एक अवयव को डिस्टर्ब करने से पूरा पारिस्थितिकी तंत्र अव्यवस्थित हो सकता है। पर्यावरण के बारे में जागरूकता आये इसके लिए हमनें अपने बाल संगठन में हरेला पर्व के अवसर पर वृक्षारोपण किया।

सूचना का अधिकार: बाल संगठन में पता चला कि सरकार से उनके किसी भी विभाग की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना हमारा अधिकार है। इसे सूचना का अधिकार कहते हैं।

इशिका रावत, कक्षा: १०
अध्यक्ष, नागदेव बाल संगठन,
क्यारा, बांदलघाटी, देहरादून

शिक्षा बाल संगठन

शिक्षा बाल संगठन में हम प्रत्येक माह अलग-अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। इसके साथ ही खेलना और स्वच्छ गृह सर्वेक्षण बाल संगठन की एक प्रमुख गतिविधि है।

स्वच्छ गृह सर्वेक्षण में समूह बना कर गाँव के सभी घरों के भीतर व आसपास की स्वच्छता का निरीक्षण करते हैं। शुरू में लोग हमारी नहीं सुनते थे और कई बार तो हमें डांट भी देते थे। धीरे-धीरे सभी ने समझा कि हम अपने गांव की स्वच्छता के लिए ही यह सब कर रहे हैं। पहले गांव में कई स्थानों पर कूड़े के ढेर मिलते थे। गांव में कोई भी कूड़ेदान का उपयोग नहीं करता था। लेकिन आज गाँव का प्रत्येक घर कूड़ेदान का उपयोग करता है और उसमें कूड़ा एकत्रित हो जाने पर उसे जला भी देते हैं। गाँव में कोई भी कूड़ा इधर-उधर नहीं फेंकता है बल्कि उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं। गाँव के छोटे-छोटे बच्चे भी इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं।

स्वच्छता हमारा अधिकार है और यह हमें तभी प्राप्त होगा जब इस सम्बन्ध में हम अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक प्रकार से करेंगे।

रिया नेगी, प्राची और आदित्य
शिक्षा बाल संगठन, मैंगवाला
देहरादून

राधा कृष्णन बाल संगठन

बाल सहभागिता के माध्यम से निम्न अधिकार मिलते हैंः-

१. सबसे पहले हमें बैठक में भाग लेने और अपना परिचय देने का अवसर मिलता है।

२. हमें स्वच्छता पर रैली निकालने का अधिकार मिलता है। कूड़ेदान के महत्व को समझा और उसका प्रयोग करना सीखा।

४. बच्चों को अपना संगठन बनाने और मिलकर अनेक गतिविधियों का संचालन करने का अधिकार मिलता है। सभी सदस्य एक-दूसरे का सम्मान करते हैं।

५. बच्चे अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाते हैं और फिर उसकी देखभाल भी करते हैं।

६. सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित हुआ। चाइल्ड हैल्प लाइन-1098, महिला हैल्पलाइन-1090, पुलिस-112, स्वास्थ्य सेवायें-108, साइबर क्राइम-1930, मुख्यमंत्री हैल्पलाइनः 1905, आपदा सहायताः 1070 आदि सुरक्षा से जुड़े फोन नम्बरों की जानकारी मिली।

काव्या रतूड़ी
राधा कृष्णन बाल संगठन,
कुमारतोली, नन्दानगर, चमोली

राज राजेश्वरी बाल संगठन

मैं राजराजेश्वरी बाल संगठन की अध्यक्षा हूँ। बाल अधिकार के तहत हमें निम्न अधिकार प्राप्त हैं।

१. शिक्षा का अधिकार

२. अपनी बात को रखने का अधिकार

३. बाल संगठन बनाने और उसके नियम बनाने का अधिकार।

कम्युनिकेशन कार्यशाला के दौरान हमें नन्दा नगर में नुक्कड़ नाटक करने का अवसर मिला। बाल संगठन के सभी बच्चों ने मिलकर नाटक प्रस्तुत किया।

चन्दा, राज राजेश्वरी बाल संगठन,
चरबंग, नन्दानगर, चमोली

जयफैला पंचनाग बाल संगठन

मुझे बाल संगठन की बैठक में जाना अच्छा लगता है जिसमें हमनें अपने अधिकारों को जाना और अपनी बातों को रखना सीखा। बाल सहभागिता के माध्यम से हमें निम्न अधिकार मिलते हैंः-

- बाल संगठन की बैठक में बिना भेदभाव के सभी लड़के-लड़कियां प्रतिभाग करते हैं।
- सभी बच्चों को खेलने का अधिकार और बाल संगठन में सभी को खेलने बराबर अवसर मिलते हैं।
- बाल संगठन के सभी बच्चे अपनी सुरक्षा के मुद्‌दों को पंचायत की बैठक तक पहुंचाते हैं। यह हमारी सुरक्षा का अधिकार है।
- बच्चे, बैठक में अपनी बातों को खुल कर रखते हैं यह हमारी अभिव्यक्ति का अधिकार है।
- बाल संगठन के द्वारा गांव में स्वच्छ गृह सर्वेक्षण कर स्वच्छता का मूल्यांकन किया गया। यह हमारे स्वच्छ वातावरण का अधिकार है।
- बच्चे अपने जीवन से जुड़े विषय पहचान पा रहे हैं और उनके समाधान के बारे में भी विचार कर पा रहे हैं।
- नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम अपनी बात अपने गांव के बड़े लोगों के सामने भी रख पा रहे हैं।
- बच्चों द्वारा पंचायत चुनाव उम्मीदवारों के लिए मांगपत्र बनाया गया। यह हमारी अभिव्यक्ति का अधिकार है।
- बाल संगठन द्वारा गाँव में कूड़ेदान का निर्माण किया गया। यह हमारा स्वच्छ वातावरण का अधिकार है।
- बाल सहभागिता से बच्चों के भीतर व्याप्त झिझकपन दूर हुआ और उनका आत्मविश्वास बढ़ा। यह हमारे विकास को अधिकार है।
- बाल संगठन द्वारा गांव में स्वच्छता मानचित्र बनाया गया। यह हमारे स्वच्छ वातावरण का अधिकार है।
- हमारे बाल संगठन में आपदा न्यूनीकरण के अन्तर्गत रोप एण्ड रैस्क्यू के बारे में बताया गया। हमनें रोप सिलिंग के बारे में जाना व नॉट के बारे मे जाना, नॉट चार प्रकार के होते हैं। हमनें उन्हें बांधना भी सीखा।
- हमें सी.पी.आर. के बारे में सिखाया गया।
- आपदा के दौरान प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की जानकारी मिली।
- यह जानकारी हमें हमारे साथी पीयूष ने दी जो की आपदा न्यूनीकरण एवं बचाव प्रशिक्षण में गया था।

आदित्य सिंह
जयफैला पंचनाग बाल संगठन
बिजार, नन्दानगर, चमोली

गढ़वाल बाल संगठन

ग्राम नारंगी, नन्दानगर में गठित गढ़वाल बाल संगठन की मैं उपाध्यक्ष हूँ। बाल संगठन में हमनें निम्न बातें सीखीं:-

१. आत्मविश्वास बढ़ा

- बैठक में अपना परिचय देना।
- बैठक का संचालन करना।
- संगठन बनने से हमें हमारी लीडरशिप क्षमता का पता चला।
- नुक्कड़ नाटक में प्रतिभाग करना सीखा।
- बाल अधिकारों की जानकारी मिली।
- संगठन की शक्ति को पहचाना।
- संगठन में पदाधिकारियों ने अपनी-अपनी जिम्मेदारी को समझा और निभाया।

२. नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ

- बाल संगठन की बैठक में चार्ट के माध्यम से प्रस्तुतीकरण करना सीखा।
- बैठकों का संचालन करना सीखा।
- नये आइडिया देना सीखा।
- आपस में मिलकर निर्णय लेना सीखा।
- अपने संगठन में कमजोर साथियों की मदद करना और उनको आगे बढ़ाना सीखा।
- क्विज के माध्यम से समूह का नेतृत्व करना सीखा।
- बाल अधिकारों की अच्छी जानकारी मिली।
- अपनी बात को आगे रखना सीखा।
- खेलने का अधिकार मिला।
- हमनें स्वच्छ गृह सर्वेक्षण करवाये और सार्वजनिक स्थानों में कूड़ेदान बनवाये और उनका प्रयोग करना सीखा। इसमें गांव के बड़े लोगों ने हमारा साथ दिया और गांव की सफाई की और इससे स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई।
- बच्चों से जुड़े सुरक्षा से सम्बन्धित मुद्दों को बाल सुरक्षा समिति की बैठक में रखा।
- सुरक्षा का अधिकार मिला, जिसमें हमें सुरक्षा से सम्बन्धित इमरजेंसी हैल्प लाइन नम्बरों की जानकारी प्राप्त हुई।
- आपदा न्यूनीकरण बचाव प्रशिक्षण शिविर में जाने अवसर प्राप्त हुआ। जिससे हमें आपदा के समय स्वयं का कैसे सुरक्षित रखना है और परिवार व समुदाय की कैसे सहायता करनी है इस बारे में जानकारी प्राप्त हुई।

संजना
उपाध्यक्ष, गढ़वाल बाल संगठन
नारंगी, नन्दानगर, चमोली

जागृति बाल संगठन

मैं ग्राम खेड़ा पछुवा में जागृति बाल संगठन में प्रचार मंत्री हूँ। मैं अपने बाल संगठन के माध्यम से बाल सहभागिता की प्रक्रिया में प्रतिभाग करता हूँ। मैंने बाल संगठन के माध्यम से स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न आयामों को जाना। जैसे हिमोग्लोबिन, टिटनेस व अन्य टीकाकरण के बारे में आदि।

सभी बच्चों का हिमोग्लोबिन व टिटनेस के बारे में पता होना चाहिए। हमनें इस बारे में गाँव की ए.एन.एम. दीदी और आशा दीदी से भी चर्चा की है। शुरु में ए.एन.एम. दीदी और आशा दीदी ने कैम्प लगाने से मना किया। हमनें इस सम्बन्ध ग्राम प्रधान जी से चर्चा की। ग्राम प्रधान जी के कहने पर व बाल संगठन की पहल पर गाँव में स्वास्थ्य कैम्प का आयोजन हुआ। कैम्प में चार गाँव के बच्चों को ए.एन.एम. सेन्टर में बुलाया गया और इस प्रकार लगभग ४० बच्चों के हिमोग्लोबिन की जाँच की गयी। इससे सभी बच्चों को अपने हिमोग्लोबिन की जानकारी मिली। साथ ही बच्चों के साथ यह भी चर्चा हुई

कि जिन बच्चों का हिमोग्लोबिन कुछ कम है उन्हें अपने खान-पान में बदलाव करते हुए अपने पोषण का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य हमारा एक मूलभूत अधिकार है। हमें यह जानकारी तभी प्राप्त हुई जब हमनें बाल संगठन के माध्यम से सहभागिता की।

हैप्पी, कक्षा: ८
रमन, कक्षा: १०
जागृति बाल संगठन, खेड़ा पछुवा, देहरादून

भरतदेव बाल संगठन

भरतदेव बाल संगठन में बाल सहभागिता के माध्यम से हमारे क्या-क्या अधिकार हैं इस बारे में जाना, जोकि निम्न प्रकार से हैं:-

१. सहभागिता का अधिकार
२. विकास अधिकार
३. सुरक्षा का अधिकार
४. जीवन जीने का अधिकार
५. सूचना का अधिकार
६. खेलने का अधिकार
७. शिक्षा का अधिकार
८. पोषण का अधिकार
९. जन्म पंजीकरण का अधिकार
१०. पर्यावरण संरक्षण का अधिकार
११. भेदभाव से बचाव का अधिकार

१२. अपनी बात को रखने का अधिकार

बाल संगठन की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से हम सुनिश्चित करते हैं कि हमें यह सभी अधिकार प्राप्त हों।

राधा नौटियाल
भरतदेव बाल संगठन, सिल्ला
बांदलघाटी, देहरादून

मिलन बाल संगठन

१८ वर्ष से कम आयु के बच्चों के अपने कुछ अधिकार है। इसमें सबसे प्रमुख सहभागिता का अधिकार है, जिसके अन्तर्गत हमें निम्न अधिकार मिलते हैं:-

१. शिक्षा का अधिकारः सभी बच्चों को शिक्षा का पूर्ण अधिकार है। शेरकी गांव में सभी बच्चे अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए शिक्षा ग्रहण करने स्कूल जा रहे हैं।

२. खेलने का अधिकारः सभी बच्चों को खेलने का अधिकार है। इस अधिकार के तहत मिलन बाल संगठन के बच्चों ने ग्राम पंचायत से खेल का मैदान और खेल का समान देने की बात की है।

३. अपने विचारों को रखने का अधिकारः सभी बच्चों को अपने विचार रखने और अपनी बात को साझा करने का अधिकार है। बच्चे, ग्राम पंचायत की बैठक में शामिल होते हैं और अपने जीवन से जुड़े विषयों को वहां पूरे आत्मविश्वास के साथ उठाते हैं।

शिवानी
मिलन बाल संगठन
शेरकी, (बांदलघाटी), मालदेवता, देहरादून

मिलन बाल संगठन में सदस्यों को बाल सहभागिता के माध्यम से अपने कई अधिकार मिल रहे हैं। वास्तव में बच्चों ने संगठन से जुड़ने के बाद ही अपने अधिकारों को जाना।

१. बाल संगठन की बैठक में चर्चा करने व अपनी बात को आत्मविश्वास से रखने का अवसर मिला।
२. बैठक में मिलजुल कर खेलने का अधिकार।
३. स्वच्छ वातावरण का अधिकार।
४. पोषण का अधिकार।
५. स्वच्छ पानी का अधिकार।
६. ग्राम पंचायत में अपनी बात रखने का अधिकार।

जब खुद से खुद का परिचय दिया
आत्मविश्वास इससे बढ़ गया
बाल अधिकारों को जानकर हमने
ज्ञान का दीप जला दिया

सविता, अध्यक्ष
मिलन बाल संगठन
शेरकी, (बांदलघाटी),
मालदेवता, देहरादून

जब हम पहल करेंगे, तभी हमारे गाँव स्वच्छ रहेंगे

बाल संगठन में हम स्वयं ही अपने नियम बनाते हैं। इस तरह हमारा एक नियम है कि बाल संगठन की बैठक में बाद हम सफाई अवश्य करेंगे।

हमनें देखा है कि हमारे अभिभावक इस नियम के बारे में नहीं जानते हैं। तभी तो जब भी कोई सार्व. जनिक कार्यक्रम जैसे मेला, टूर्नामेंट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भण्डारा, शादी आदि होता है तो कार्यक्रम के बाद चारों ओर कूड़ा फैल जाता है। जिससे बहुत गंदगी होती है और वह कई दिनों तक रहती है।

बाल संगठन ने गाँव की खेल समिति को सूचित किया है कि इस बार जो टूर्नामेंट होंगे उसकी सहमति तभी दी जानी चाहिए जब कूड़ा निस्तारण का कोई स्पष्ट प्रबन्धन हो। इसका यह असर यह हुआ कि गाँव में जो टूर्नामेंट हुआ उसमें प्रत्येक मैच के बाद सफाई की गयी, जिससे मैदान और आसपास का क्षेत्र साफ दिखा। इस तरह हमने अपने स्वच्छता व विकास के अधिकार को प्राप्त किया।

अंशिका चौहान, सचिव
आदर्श बाल संगठन, पसौली,
विकासनगर, देहरादून

बाल सुरक्षा समिति के माध्यम से सहभागिता

बाल संगठन से जुड़कर हमने अपने अधिकारों को जाना। सितम्बर २०२३ में हमारे गांव में बाल सुरक्षा समिति गठित हुई। समिति में आंगनवाड़ी मैडम, वार्ड मेम्बर, ए.एन.एम., आशा कार्यकर्ती, सम्बन्धित स्कूल के अध्यापक और बाल संगठन के दो बच्चे शामिल होते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में इस प्रकार की समिति का गठन बच्चों की सुरक्षा के लिए किया जाता है।

सितम्बर २०२४ में हुई समिति की बैठक में गाँव में बच्चों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। मैं और प्रिया इस समिति में बाल संगठन की ओर से सदस्य हैं। हमनें समिति के सम्मुख बताया जूनियर हाई स्कूल में शौचालय की स्थिति बहुत खराब है। इस नवम्बर २०२४ में भी इस मांग को दोहराया गया। चर्चा के उपरान्त यह तय हुआ कि समिति की ओर से एक प्रस्ताव बाल आयोग को भेजा जायेगा। हमनें उसी दिन यह प्रस्ताव तैयार किया और ग्राम पंचायत की ओर आयोग के भिजवा दिया।

फरवरी २०२५ में शौचालय बनना प्रारम्भ हुआ। अभी हॉल ही दो शौचालय बनकर तैयार हो चुके हैं। यह कार्य तभी सम्भव हो पाया जब गांव में बाल संगठन के माध्यम से बाल सहभागिता की प्रक्रिया सतत चल रही है। अपनी बात को हमने गांव वालों के सम्मुख रखा उससे हम अपना शिक्षा और सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित कर पाये।

कृतना चौहान और प्रिया चौहान
आदर्श बाल संगठन, पसौली, देहरादून

नशे की समस्या का समाधान निकला

जब तक हमें किसी विषय की सम्पूर्ण जानकारी नहीं होती तब तक हम उसे ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। हमने बाल संगठन की बैठकों में अपने गांव के बच्चों के साथ काफी सारी चीजें सींखी जैसे संगठन का महत्व, पर्यावरण संरक्षण, अपने गाँव में स्वच्छता का महत्व, बाल अधिकार के बारे में विस्तार से जाना आदि। यह सब सीखने के बाद हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है और हम अपनी बात गाँव के किसी मंच पर रख पाते हैं।

हम बाल सुरक्षा समिति के सदस्य हैं। समिति की जब भी बैठक होती है हम अपनी बात को पूरे तथ्यों के साथ रखता हैं। बाल अधिकार अनुच्छेद १२, १३ व १५ के अनुसार हमें अपनी बात रखने का अधिकार है। समिति के सम्मुख अपनी बात रखते हुए हमने बताया कि हमारे गाँव में नशा एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। हमने बताया कि लांघा में जो इंटर कॉलेज है वहाँ कुछ लोग बाहर से आकर बच्चों को नशे का सामान बेच रहे हैं। समिति के सदस्यों ने इस बात को बहुत गम्भीरता से लिया और कहा कि अगली बैठक में स्कूल के अध्यापक को बैठक में बुलाया जायेगा और उनसे इस विषय पर चर्चा की जायेगी।

दूसरी बैठक बैठक में जब अध्यापक जी आये तो यह तय हुआ कि वे इस बात की निगरानी रखेंगे। साथ ही प्रधान जी की ओर से स्कूल में कैमरे लगाये जायेंगे। इस समस्या का एक सीमा तक तो सुधार हुआ है। अब बच्चे अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं। इस तरह हमनें अपनी सुरक्षा और विकास के अधिकार को सुनिश्चित किया।

हम व्यक्तिगत रूप से भी बहुत खुश हैं क्योंकि हमने एक बात समिति के सम्मुख रखी और उस पर तुरन्त कार्यवाही हुई और एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान निकल गया।

प्रियंका चौहान और दीपक
आदर्श बाल संगठन, पसौली,
विकासनगर, देहरादून

हंस बाल संगठन

ग्राम बाँजबगड़ में गठित हंस बाल संगठन की मैं अध्यक्षा हूँ। अपने संगठन के माध्यम से मैंने बाल सहभागिता को समझा और फिर अपने निम्न अधिकारों को जानाः-

१. बच्चों को खेलने का अधिकार है। बाल संगठन में सभी बच्चों को खेलने का अवसर मिलता है।
२. बाल संगठन ने पंचायत चुनाव में उठ रहे उम्मीदवारों को एक मांगपत्र सौंपा यह हमारी अभिव्यक्ति का अधिकार है।
३. बाल संगठन द्वारा गाँव की स्वच्छता का मानचित्र बनाया गया और गाँव का स्वच्छ गृह सर्वेक्षण किया गया। इसके साथ ही हमनें अपने घर में व गाँव में कूड़ेदान बनाये। यह हमारे स्वच्छ और स्वस्थ रहने का अधिकार है।
४. बाल संगठन ने अपने ५४ अधिकारों को जाना और उनमें से ४ मुख्य अधिकारों के पेड़ भी बनाये।
५. बाल सहभागिता से हमारा झिझकपन दूर हुआ और आत्मविश्वास बढ़ा। ६. बाल संगठन से जुड़कर हमें बच्चों से सम्बन्धित अपराधों के बारे में पता चला। यह हमारी सुरक्षा का अधिकार है। सदस्य अपनी सुरक्षा से जुड़ी जानकारियों को बाल संगठन तक पहुंचाते हैं।
७. बाल संगठन में किसी भी सदस्य के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है।
८. बाल संगठन की बैठक में सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का एक समान अधिकार है।

यशोदा नेगी (अंजलि)
हंस बाल संगठन, बाँजबगड, नन्दानगर, चमोली

विश्वास बाल संगठन

मैं ग्राम ढकोवाला में गठित विश्वास बाल संगठन में सचिव हूँ। बाल संगठन में शामिल होने पर मुझे मेरे अधिकारों की और बाल सहभागिता की जानकारी प्राप्त हुई। हम प्रत्येक माह बाल संगठन की बैठक करते हैं, जहां हम बच्चों के जीवन से जुड़े विभिन्न मुद्दों और उनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं और समाधान भी निकालते हैं। उदाहरण के लिए हमारे बाल संगठन में पर्यावरण को लेकर चर्चा की गयी, हमनें मिलकर यह विचार किया कि हम अपने पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। समाधान के तौर पर हमने अपने ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम देवी जी से बात की और उनको वृक्षारोपण हेतु पौध उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव दिया। प्रधान जी ने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए हमें पौध उपलब्ध करवायी। यह सभी पौध बच्चों ने अपने घरों के आसपास रोपित किये और उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी भी उठायी। इसके साथ ही सभी बच्चों ने तय किया कि हम प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार वृक्षारोपण करेंगे और उनकी देखभाल भी करेंगे। इससे भविष्य में हमारा गांव हराभरा होगा और हमें शुद्ध वायु प्राप्त होगी।

इस प्रकार हमनें अपने विकास और सुरक्षा से जुड़े स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को सुनिश्चित किया।

मुस्कान और नरगिस
विश्वास बाल संगठन, ढाकोवाला, देहरादून

जय द्वारी माँ बाल संगठन

ग्राम लांखी में गठित जय द्वारी माँ बाल संगठन की मैं अध्यक्षा हूँ। बाल संगठन के माध्यम से गाँव के सभी बच्चे संगठित हुए और अब मिलकर वे अपने पूरे गाँव-समाज को साथ लेकर अपने जीवन से जुड़े विषयों को उठाते हैं तथा सहभागिता से उनका समाधान करने का प्रयास भी करते हैं। बाल सहभागिता से हमें निम्न अधिकार मिले हैं:-

- खेलने का अधिकार
- अपना संगठन बनाने व अपनी बात को कहने का अधिकार
- बाल संगठन के माध्यम से गाँव में विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने का अधिकार
- शिक्षा का अधिकार
- बाल अधिकारों को जानने का अधिकार

- नन्दानगर में हुई आपदा न्यूनीकरण प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभाग करने का अधिकार।

दिव्या, कक्षा: १२
जय द्वारी माँ बाल संगठन
नन्दानगर, चमोली

सरस्वती बाल संगठन

मैं मच्छी तलाब में गठित सरस्वती बाल संगठन की सदस्या हूँ। मैंने वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति में अपने वार्ड के बच्चों से जुड़ी समस्याओं को रखा। हमारे वार्ड में बड़े लोगों द्वारा खुले में जुआ खेला जाता है और इस दौरान वे लोग गाली-गलौच भी करते हैं। उनके इस व्यवहार से बच्चों पर बहुत खराब असर पड़ता है। हमनें यह देखा है कि इससे बच्चे भी गाली-गलौच सीखते हैं। बाल संरक्षण समिति ने इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करते हुए स्थानीय थाना प्रबन्धक को पत्र लिख कर उक्त समस्या के बारे में सूचित किया। इस पत्र की एक-एक प्रति एस.एस.पी. और जिलाधिकारी को भी प्रेषित की गयी।

पुलिस द्वारा भी तुरन्त कार्यवाही करते हुए जुआ खेलने वाली जगह छापा मार कर जुआ खेलने वालों व मकान मालिक को थाने ले जाया गया। हमें उम्मीद है कि इस कार्यवाही से हमें यह समस्या भविष्य में देखने को नहीं मिलेगी।

बाल संरक्षण समिति के समक्ष मैंने एक दूसरी

समस्या यह रखी कि हमारे क्षेत्र में बहने वाला नाला खुला हुआ है। जिससे स्थानीय निवासियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समिति की ओर से इस सम्बन्ध में भी पत्र क्षेत्र के पार्षद को भेज दिया गया है। पार्षद ने बताया कि नाला ढकने सम्बन्धी प्रस्ताव नगर निगम को प्रेषित किया गया है।

चन्दा कुमारी, कक्षा: १२
सरस्वती बाल संगठन,
मच्छी तालाब, देहरादून

बसंत बाल संगठन

बसन्त बाल संगठन में हमनें इस माह ऑनलाइन सेफ्टी और सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श (सेफ और अनसेफ टच) पर चर्चा की। इसके साथ ही हमनें बाल विवाह के विषय पर अपने विचार रखे। यह सभी विषय हमारे सुरक्षा के अधिकार के अन्तर्गत आते हैं।

हमनें अपने पार्षद के लिए पत्र भी लिखा और उन्हें बताया कि कूड़े की गाड़ी हमारे घरों में नियमित तौर पर नहीं आ रही है। जिससे सभी के घरों में कूड़ा इकट्ठा हो गया है और उसके निस्तारण की समस्या खड़ी हो गयी है। कुछ लोग कूड़ा पास की नदी में फेंक देते हैं। जिससे नदी का पानी गंदा हो जाता है।

हमनें १९३० साइबर क्राइम और १०९८ चाइल्ड हैल्प लाइन नम्बर के बारे में भी बात की।

रिया, कक्षाः ६
बसन्त बाल संगठन, गाँधी ग्राम, देहरादून

बसन्त बाल संगठन में हमनें बाल सहभागिता के माध्यम बाल अधिकारों के बारे में जाना। हमनें जाना कि यह कुल ५४ अधिकार हैं। जिन्हें ४ भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला अधिकार जन्म लेने का अधिकार, दूसरा सुरक्षा का अधिकार, तीसरा विकास का अधिकार, चौथा सहभागिता का अधिकार।

बाल संगठन के सन्दर्भ में सहभागिता का अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इससे हमें संगठित होने और अपनी बात को कहने का अधिकार मिलता है। बाल संगठन में हम सभी सदस्य एक दूसरे के सम्मुख अपनी बात को बेझिझक रख पाते हैं। अपनी भावनाओं को प्रकट कर पाते हैं। हमें जो भी समस्यायें हैं उन पर खुल का चर्चा कर पाते हैं। हमनें अपनी समस्याओं के लिए अपने क्षेत्र के पार्षद आदि को पत्र भी प्रेषित किये हैं। इसमें कूड़े की गाड़ी से सम्बन्धित प्रमुख है।

बसन्त बाल संगठन की बैठक में हम ऑनलाइन सेफ्टी, सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श (सेफ और अनसेफ टच), बाल विवाह, बाल श्रम, पोक्सो कानून आदि विषयों पर चर्चा करते हैं। यह सभी विषय हमारे सुरक्षा के अधिकार के अन्तर्गत आते हैं।

प्रिया कश्यप, कक्षाः ९ और परी, कक्षाः ७
बसन्त बाल संगठन,
गाँधी ग्राम, देहरादून

बालम्पा देवी बाल संगठन

ग्राम कुमजुग में गठित बालम्पा देवी बाल संगठन की मैं अध्यक्ष हूँ। हमें बाल सहभागिता के अन्तर्गत निम्न अधिकार मिलते हैं:-

१. खेलने का अधिकार
२. बाल संगठन को बनाने का अधिकार
३. अपने विचारों के रखने का अधिकार
४. शिक्षा का अधिकार और विकास का अधिकार
५. आपदा न्यूनीकरण प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभाग करने का अधिकार

आपदा न्यूनीकरण प्रशिक्षण शिविर में हमनें नोट बनाना तथा टैन्ट लगाना सीखा। हमने पर्वतारोहण और रिवर क्रॉसिंग करना सीखा तथा इसमें प्रयोग किये जाने वाले उपकरणों के बारे में जाना।

प्राथमिक चिकित्सा बॉक्सः इस बॉक्स में निम्न सामान होना चाहिएः पट्टी, कैंची, टयूब, टेप, डिटॉल, रुई आदि। यह सभी के घरों में होना चाहिए क्योंकि किसी को भी कभी प्राथमिक चिकित्सा की जरूरत हो सकती है।

प्रिया
बालम्पा देवी संगठन, कुमजुग
नन्दानगर, चमोली

आर्यन बाल संगठन

बाल सहभागिता के माध्यम से मिलने वाले अधिकार

१. बच्चों की बात सुने जाने का अधिकार : बाल सहभागिता से बच्चों को अपनी बात स्वेच्छा से रखे जाने का अवसर मिलता है। और उनकी बात सुनी भी जाती है।
२. निर्णय में भागीदारी का अधिकार : बच्चे निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार होते हैं। और अपनी राय को किसी भी मंच पर रख सकते हैं।
३. स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता : बाल सहभागिता बच्चे को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाते हैं।
४. बच्चे सामाजिक व राजनैतिक विषयों के बारे में जागरूक होते हैं।
५. बच्चों में नेतृत्व कौशल का विकास होता है।
६. बच्चों को आपदा न्यूनीकरण प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों में प्रतिभाग करने का अवसर मिलता है। जिसके अन्तर्गत बच्चों को आपदा प्रबन्धन से जुड़ी विभिन्न जानकारियां मिलती हैं और वे आपदा के समय स्वयं को सम्भाल सकते हैं और समुदाय की सहायता कर सकते हैं।

काजल, अध्यक्ष
आर्यन बाल संगठन, उस्तोली
नन्दानगर, चमोली

राम बाल संगठन

बाल सहभागिता का हमारा पहला अनुभव अपने बाल संगठन का गठन है। बाल संगठन के माध्यम से हम गाँव के किसी भी मंच पर अपनी बात रख सकते हैं। इससे हमारा सहभागिता का अधिकार सुनिश्चित होता है।

हमें खेलने का अधिकार मिलता है। हमें शिक्षा का अधिकार मिलता है। स्वच्छ गृह सर्वेक्षण का अधिकार मिलता है। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से हमें बड़े लोगों के सामने अपनी बात कहने का अधिकार मिलता है।

बाल सहभागिता के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर हमें कूड़ादान बनाने से स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार मिलता है। इससे पूरे गांव में स्वच्छता का वातावरण निर्मित होता है।

बाल सहभागिता से हमें एक दूसरे की सहायता करने का अवसर मिलता है।

मोनिका, कक्षाः १२
राम बाल संगठन, लाँखी गौदीबगड़,
नन्दानगर, चमोली

शिवानी, श्रीकोट

वर्षा, श्रीकोट

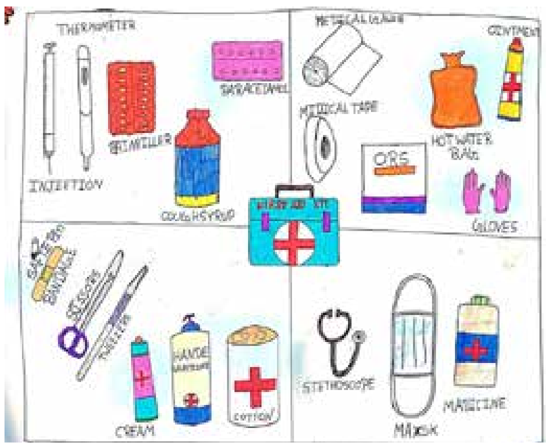

हिमानी खत्री, महात्मा गांधी बाल संगठन, श्रीकोट

पूजा, कक्षाः ५,
बसंत बाल संगठन, गांधी ग्राम

पर्वतीय बाल मंच 'पबम'

पिछले दो दशकों से अधिक वर्षों से 'पर्वतीय बाल मंच' बच्चों के माध्यम से हिमालय क्षेत्र के ग्रामीण समुदाय के साथ काम कर रहा है। प्रयास यह है कि भारत के सम्पूर्ण हिमालयी क्षेत्र के प्रत्येक गाँव के बच्चे, अपने छोटे–छोटे समूह 'बाल संगठन' के रूप में संगठित हो। अपने इस संगठनों के माध्यम से वे समाज की मुख्यधारा में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें ताकि विकास के प्रत्येक आयाम में आबादी के इस छोटे आयु वर्ग के पक्ष को भी प्रमुखता से लिया जाये। बच्चे अपनी बात बोलने के लिए प्रेरित हों सशक्त हों और समाज उनकी बातों को सुने और उसे प्राथमिकता दे।

पर्वतीय बाल मंच, 63 ए, व्योम प्रस्थ, जनरल महादेव सिंह रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड)
दूरभाष : 91 9045032937, e-mail : mcf@mcfglobal.ngo, Website : www.mcfglobal.ngo